

मछुआरा कल्याण कार्यक्रम-मछुआरों का सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना

1	योजना का नाम	मछुआरा कल्याण कार्यक्रम-मछुआरों का सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य सरकार द्वारा सक्रिय मछुआरों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। बीमे की वार्षिक प्रीमियम दर रुपये 29/-का भुगतान राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः 50:50 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थाई विकलांगता पर रुपये 1,00,000/-एवं अस्थायी विकलांगता होने की स्थिति में रुपये 50,000 की राशि देय होती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2002-03
4	लाभान्वित वर्ग	सक्रिय मछुआरे एवं मत्स्य व्यवसाय गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति
5	पात्रता	सक्रिय मछुआरें एवं मत्स्य व्यवसाय गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति
6	देय सुविधाएँ	बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता होने पर रुपये 1,00,000/-एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में रुपये 50,000/- की राशि देय होती है।
7	आवेदन का	सादे कागज पर प्रार्थना पत्र

	तरीका	
8	आवेदन कहां किया जावें	जिला मत्स्य कार्यालय
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नामित व्यक्ति संबंधी सूचनाएँ।
10	सम्पर्क सूत्र	जिला मत्स्य अधिकारी